



३६/५५१८


२०१९/०००९८

श्रीमान जी,
निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/११/२३३८ दिनांक २३.११.२०११ द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी श्रीमती कलावती पत्नी श्री बेगराज जाट उम्र ७८ वर्ष निवासी मस्जिद के पास, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाह का शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सीलड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थी को गवाहान श्री रणजीत पुत्र श्री लालचन्द एवं श्री नरेन्द्रपाल पुत्र श्री रामस्वरूप ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाह की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता, श्रीगंगानगर. ने की।

अतः नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सीलड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत हैं 

जिला पंजीयक महोदय 